न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
न्यायालय संख्या–2, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–392 / 2026
विविध वाद उत्पाद सं0–1631 / 2025
म0नि0 सिमराही थाना कांड संख्या–106 / 2025
दिनबन्धु कुमार
बनाम्
बिहार सरकार

दिनांक 21 / 04 / 2026

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक–अभियुक्त, दिनबन्धु कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो म0नि0 सिमराही थाना कांड संख्या–106 / 2025, अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं आवेदन दाखिल किया गया। प्रस्तुत वाद इसी न्यायालय में लंबित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक–अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक–अभियुक्त के तरफ से इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में जप्त शराब से प्रार्थी को कोई मतलब वो सरोकार नहीं है। आवेदक–अभियुक्त प्रस्तुत वाद में जप्त रजि0 नं0–बी0आर0–19सी0–9886 का स्वामी है। आवेदक–अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक–अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन खारिज करने की मांग करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक, संजय कुमार प्रियदर्शी, निरीक्षक मद्यनिषेध सुपौल के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध म0नि0 सिमराही थाना कांड संख्या–106 / 2025, धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम–2016 यथासंशोधित अधिनियम–2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सूचक ने अपने टंकित आवेदन में कहा है कि दिनांक 08.08.2025 को गुप्त सूचना मिली कि कोडिनयुक्त कफसिरप लेकर एक उजले रंग के स्कॉर्पियों जिसका रजि0 नं0–बी0आर0–19सी0–9886 पटना की तरफ से आ रही है। उक्त सूचना को सत्यापन हेतु निर्मली थाना अन्तर्गत मझारी चौक के समीप पहुँचकर वाहन जॉच शुरू किया। वाहन जॉच के क्रम में एक उजले रंग के स्कॉर्पियों जिसका रजि0 नं0–बी0आर0–19सी0–9886 एन0एच0 पर आते हुए दिखाई पड़ा, जिसे छापामरी टीम में शामिल बल द्वारा रोका गया, जिसमें तीन आदमी सवार थे, उन्हें अपना परिचय देते हुए उनसे पूछ–ताछ किया गया, पूछ–ताछ के क्रम में उन्होंने अपना नाम

लगातार

लगातार
21.04.2026दिलखुश कुमार, मुकेश कुमार एवं नीतीश कुमार बतलाया। तत्पश्चात् उक्त तीनों व्यक्तियों को सूचना से अवगत कराते हुए विधिवत पालन करते हुए उक्त तीनों व्यक्तियों एवं उजले रंग का महिन्द्रा स्कॉर्पियों जिसका रजि0 नं0–बी0आर0–19सी0–9886 की तलाशी लेने पर स्कॉर्पियों की डिक्की में चार बोरा एवं बीच वाले सीट के अन्दर दो बोरा छिपाकर रखा, कुल–छः प्लास्टिक का बोरा, प्रत्येक बोरा में 100 एम0एल0 का 200 पीस विशकफ कंपनी का कोडिनयुक्त कफ सिरप कुल मात्रा–120 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद हुआ। उनसे बरामद कफ सिरप के बारे में पूछने पर बताया कि यह कफसिरप को पटना से लाकर मनीष कुमार को देते है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक– अभियुक्त काण्ड में जप्त वाहन के स्वामी है। जिस उजले रंग का महिन्द्रा स्कॉर्पियों जिसका रजि0 नं0–बी0आर0–19सी0–9886 के डिक्की में चार बोरा एवं बीच वाले सीट के अन्दर दो बोरा छिपाकर रखा, कुल–छः प्लास्टिक का बोरा, प्रत्येक बोरा में 100 एम0एल0 का 200 पीस विशकफ कंपनी का कोडिनयुक्त कफ सिरप कुल मात्रा–120 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद हुआ है। अग्रिम जमानत आवेदन के साथ काण्ड में जप्त वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति दाखिल की गई है, जिसकी मूलप्रति सुनवाई के दौरान न्यायालय को अवलोकनार्थ समर्पित की गई, जिसके अनुसार जप्त वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियों रजि0 नं0–बी0आर0–19सी0–9886 का स्वामी आवेदक–अभियुक्त दीनबन्धु कुमार है। मूल अभिलेख में अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक–अभियुक्त दीनबन्धु कुमार को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अतः आवेदक के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते है। काण्ड में आवेदक–अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस कांड में कुल मात्रा–120 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद होने के कारण आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ना न्यायसंगत और उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक–अभियुक्त, दिनबन्धु कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

प्रभारी, अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद)
न्यायालय संख्या–02, सुपौल।
21.04.2026